न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 13/2015 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. स्वर्गीय नागजी आत्मज श्री हुमला डिण्डोर, जाति भील के बजाय :–

1/1. देवजी आत्मज नागजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2. कमजी आत्मज नागजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/3. लिमजी आत्मज नागजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. स्वर्गीय वारजी आत्मज श्री रंगजी डिण्डोर, जाति भील के बजाय :–

2/1. श्रीमती शान्ति पत्नी स्वर्गीय श्री वारजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

3. लालु आत्मज श्री रंगजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

4. रकमा आत्मज श्री मनजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

5. स्वर्गीय शान्ति आत्मज श्री मनजी डिण्डोर, जाति भील के बजाय :–

5/1. कल्पेश आत्मज स्वर्गीय श्री शान्ति डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

6. मिठु आत्मज आत्मज श्री मनजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

7. श्रीमती राधी पत्नी आत्मज श्री मनजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

8. जीवा आत्मज श्री हुमला डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

9. मावजी आत्मज श्री धारीया डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

10. स्वर्गीय देवा आत्मज श्री धारीया डिण्डोर, जाति भील के बजाय :–

10/1. श्रीमती जीवणी पत्नी स्वर्गीय श्री देवा डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

10/2. हुरजी आत्मज स्वर्गीय श्री देवा डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

11. कमजी आत्मज आत्मज नागजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

12. लेमजी आत्मज नागजी डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

13. प्रभु आत्मज श्री जीवा डिण्डोर, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. स्वर्गीय होकमा आत्मज श्री खातु, जाति भील के बजाय :–

1/1. श्रीमती बुली उर्फ भुली बेवा स्वर्गीय होकमा जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/2. महेश आत्मज स्वर्गीय श्री होकमा नाबालिग की सरपरस्त वलिया माता बुली उर्फ भुली बेवा स्वर्गीय होकमा जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

1/3. सुभाष आत्मज स्वर्गीय श्री होकमा नाबालिग की सरपरस्त वलिया माता बुली उर्फ भुली बेवा स्वर्गीय होकमा जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

2. श्रीमती हीरा बेवा स्वर्गीग श्री खातिया, जाति भील, निवासी सांगरीपाडा, छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा
दिनांक 29.01.2015 प्र.सं. 59/2008

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1– श्री भगवतपुरी अभिभाषक अपीलान्टगण
2– श्री यशपाल गुप्ता अभिभाषक रेस्पो.सं. 1

———::———

निर्णय **दिनांक 24–01–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलान्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम छत्रसालपुरा में वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित कुल किता 5 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा स्थित है, जो नामान्तरकरण संख्या 496 दिनांक

06–09–1998 से वादीगण के नाम दर्ज हैं। इसी खाते की शेष भूमि जो वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित है, रकबा 13 बीघा 17 बिस्वा होकर कानजी पिता बलिया भील के नाम दर्ज है। उक्त खाता पूर्व में वादीगण के पिता कानजी के नाम सम्मिलित रूप से था, जो कि उक्तानुसार विभाजन से अलग दर्ज हो गया एवं वादीगण अपने हिस्सों के खेतों पर मालिक काबिज होकर फसल ले रहे हैं तथा वादीगण का मकान भी बना हुआ है, जिसमें वह परिवार सहित निवास करता है तथा आराजी नंबर 268/1 में फसल बो रखी है। उक्त भूमि कुल रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा नहीं है, फिर भी आये दिन झगड़ा करते हैं एवं फसल छीन लेने की धमकी देते हैं। निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि आराजी नंबर 268/1 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा से वादीगण को बेदखल नहीं करें।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने प्लीडिंग्स के आधार निम्नानुसार 6 तनकियात कायम की :–

1. आया वादीगण सर्वे नंबर 268/1 के कानूनन खातेदार कृषक होकर काबिज हैं ? ..... वादीगण
2. आया वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा उक्त खेत संख्या 268/1 के सम्बन्ध में पाने के कानूनन अधिकारी हैं ? ..... वादीगण
3. आया वादीगण ने उक्त खेत राजस्व कर्मचारियों से मिलकर प्रतिवादीगण के पीठ पीछे Behind Back of the Party जरिये नामान्तरकरण संख्या 496 दिनांक 06–09–1998 से अवैध तरीके से अपने नाम करा लिया है और प्रतिवादीगण उक्त खेत अपने खाते में दर्ज कराने के कानूनन अधिकारी हैं ? ..... प्रतिवादीगण
4. आया प्रतिवादीगण उक्त खेत पर काबिज हैं और कानूनन खातेदार कृषक हैं और वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है ? ..... प्रतिवादीगण
5. आया प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 वादीगण के विरूद्ध सर्वे नंबर 268 रकबा 6 बीघा 9 बिस्वा वर्तमान सर्वे नंबर 268/1 व 268/2 की

कुल भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी हैं ? .....प्रतिवादीगण

6. दादरसी ?

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों की साक्ष्य सबूत लेकर तनकीवार वाद विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 29–01–2015 से वादीगण का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद डिक्री कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 20–03–2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ओर से वकील श्री यशपाल गुप्ता उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 बाजवूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटि पूर्ण बताते हुए अपास्त करने की प्रार्थना की। वहीं वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिये गये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेज एवं मौखिक साक्ष्यों का विवेचन नहीं किया है तथा वाद बिन्दुओं पर स्वेच्छाचारी निर्णय पारित कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष 4 मौखिक साक्ष्य तथा 3 दस्तावेजी साक्ष्य रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गयी थी, उसके विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा 4 मौखिक एवं 3 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी नंबर 1 व 2 जो कि एक दूसरे की पूरक हैं, जिसका भार वादीगण पर था, अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तनकियों का निर्णय त्रुटि पूर्ण रूप से किया है तथा अपीलान्ट का घोषणात्मक वाद लम्बित होने के बावजूद निर्णय किया है। इसी प्रकार तनकी नंबर 3, 4, 5 जो कि एक दूसरे की पूरक हैं, इन तीनों का भार अपीलान्ट/प्रतिवादीगण पर डाला, जिसके सन्दर्भ में उसके द्वारा मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये, जिनका अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक विवेचन नहीं किया गया है।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के रेकार्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों व अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि वादीगण रेकार्डेड खातेदार हैं तथा प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर अपना स्वत्व व कब्जा होना बताते हैं, परन्तु प्रतिवादीगण द्वारा उनके स्वत्व से संबंधित घोषणात्मक वाद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है तथा घोषणात्मक वाद में उसने अपने कब्जे का जो आधार बताया है, उस बाबत् पृथक से अपील में विनिश्चयन किया जाना हैं। प्रकरण में जहां तक कब्जे का प्रश्न है, ऐसी कोई प्रभावी दस्तावेजी अथवा मौखिक साक्ष्य प्रतिवादी/अपीलान्टगण द्वारा पेश नहीं की गयी है, जिससे उक्त भूमि पर कब्जा अपीलान्ट का माना जाये अथवा स्वत्व सुस्पष्ट रूप से अपीलान्ट/प्रतिवादीगण का हो। इन परिस्थितियों में जब अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेकार्डेड स्वत्वधारी खातेदार का अखण्डित कब्जा होने के तथ्य उपलब्ध हों तो ऐसी परिस्थितियों में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि की वांछना अनुसार अपीलान्ट/प्रतिवादी को रेकार्डेड एवं कब्जेधारी वादी के वाद में स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने के आदेश में हम किसी प्रकार की तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–01–2015 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 24–01–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

स्वर्गीय नागजी के बजाय देवजी जाति भील, निवासी सांगरीपाडा छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य	बनाम	**स्वर्गीय होकमा के बजाय श्रीमती बुली उर्फ भुली, जाति भील, नि. सांगरीपाडा छत्रसालपुर, तहसील व जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं.....**13 / 2015**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**बांसवाड़ा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**29**.....माह.....**01**.....**2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**24**....माह.....**01**.....सन् **2018** रूबरू....**पक्षकारान**...
व हाजरी...**श्री भगवतपुरी** ....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री यशपाल गुप्ता**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–01–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**.....
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**24**.....माह.....**01**.....**2018**
को जारी किया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।